एफ. 14 (06)/रा.ना.वि./ प्रशा./ आर पी/2009 6 मार्च, 2019

कार्यालय आदेश

दिनांक 23 जून 2017 के समसंख्यक पूर्व आदेश के अधिक्रमण में, जो कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आर टी आई अधिनियम 2005 के भाग 5 के उपभाग (1) एवं (2) और भाग 19 के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न अधिकारियों को उनके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक के सामने दिये गए कार्य के क्षेत्रों के लिए अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उनको नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

क. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ)

1.	**श्री सुरेश शर्मा** प्रमुख (रंगमंडल) फोन नं. 23385727	आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत रंगमंडल, प्रदर्शनकारी कलाएं एवं अनुदान अनुभाग से संबंधित सभी मामलों पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए।
2.	**श्री अब्दुल लतीफ खटाना** (प्रमुख, संस्कार रंग टोली) फोन नं. 23073733	आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत संस्कार रंग टोली एवं बाल रंगमंच/कार्यशालाएं से संबंधित मामले या निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कोई कार्य पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए।
3.	**श्री अभिलाष पिल्लै** (एसोसिएट प्रोफेसर, अभिनय)	आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत बैंगलूरू, गंगटोक, अगरतला एवं साथ ही वाराणसी सभी केन्द्रों से संबंधित सभी मामले साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम से संबंधित सूचना आवेदकों को उपलब्ध कराने के लिए।
4.	**श्री ओ. पी. सागर** उप-रजिस्ट्रार (प्रशासन एवं लेखा) फोन नं. – 23382502	आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत 1. प्रशासन एवं लेखा से संबंधित सभी मामलों पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए। 2. सभी शेष मामले जो किसी भी सी पी आई ओ को विशेष तौर पर सौंपे न गए हों। 3. दो से अधिक सीपीआईओ से संबंधित सभी आवेदन जो कि एसीपीआईओ द्वारा संसाधित एवं जमा किए गए हों, का उत्तर देना और आर टी आई मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।
5.	**श्री शांतनु बोस** संकायाध्यक्ष (शैक्षिक मामले) फोन नं; - 23382739	शैक्षिक और प्रस्तुति कक्ष से संबंधित सभी मामलों पर आर टी आई एक्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए।

6.	**श्री अमितेश ग्रोवर** (सहायक प्रोफेसर)	आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विस्तार कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए।
7.	**श्री अमरजीत शर्मा** एसोसिएट प्रोफेसर (मंच टैक्नॉलॉजी)	आर टी आई (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत काष्ठकला कार्यशाला जैसे सामग्री की खरीद, इसका प्रयोग, पुन: प्रयोग एवं विखंडन इत्यादि से संबंधित सभी मामलों पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए।
8.	**श्री मोहिन्दर, सहायक** फोन नं. 233387137	आर टी आई (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, भारत रंग महोत्सव, जनजातीय उत्सव एवं पूर्वोत्तर उत्सव से संबंधित सभी मामलों पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए।

ख. सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (ए सी पी आई ओ)

1.	**श्री मनोज रमेला** सहायक रजिस्ट्रार (लेखा.) फोन नं. 23386732	आर टी आई (सूचना का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत आवेदन (ओं) या अपील (ओं) को प्राप्त करना और भाग (19) या केन्द्रीय जन सूचना आयोग के अंतर्गत संबंधित विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करना। वे मॉनिटरिंग और सी आई सी इत्यादि को तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट को भी जमा करने के उद्देश्य से ऐसे सभी अनुरोध/अपील की डायरी और प्रक्रिया का उचित रिकॉर्ड रखेंगे। यदि सूचना निर्धारित समय के अंदर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब यह उनका दायित्व है कि वे संबंधित अनुभागों को स्मरण कराएं। आर टी आई आवेदनों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करने का दायित्व भी उन्हीं का होगा।

नोट : उपरोक्त नियुक्त प्राधिकारियों को यदि निदेशक द्वारा उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य विशिष्ट तौर पर सौंपा जाता है तब ऐसे विषयों पर वे आर टी आई (सूचना का अधिकार) आवेदनों को भी प्रत्युत्तर करेंगे।

ग. पारदर्शिता अधिकारी

श्री पी. के. मोहन्ती, रजिस्ट्रार इन उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और सी आई सी के निर्देश जो कि डी.ओ. नं. सीआईसी/एटी/डी 10/000111/2 दिनांक 9 दिसंबर, 2010 में दिए गए हैं को ध्यान में रखकर अनुपालन करेंगे।
फोन नं. - 23388249

घ. अपील अधिकारी

प्रो.सुरेश शर्मा, प्रभारी निदेशक उपरोक्त सीपीआईओ के लिए फाइल किए गए आदेश/उत्तरों के संबंध में अपील अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
फोन नं. - 23387137

च. दो से अधिक सीपीआईओ(ज़) से संबंधित आरटीआई आवेदनों पर कार्यवाही :

जहां दो से अधिक सीपीआईओ(ज़) से संबंधित विषयों पर सूचना ली जानी है वहां एसीपीआईओ सभी आवेदनों को उत्तर के लिए प्रक्रियारत करेगा और संबंधित सीपीआईओ(ज़) से सूचना प्राप्त करने के उपरांत आरटीआई अधिनियम के प्रावधान अनुसार ऐसे सभी मामलों के अंतिम उत्तर को सीपीआईओ(ज़) (प्रशासन एवं लेखा), को प्रस्तुत करेगा,जिसे उत्तर को आवेदक (ओं) को भेजना होगा।

छ. दो सीपीआईओ(ज़) से संबंधित आर टी आई अनुरोधों पर कार्यवाही

आर टी आई अधिनियम के तहत ऐसा भी आवेदन हो सकता है जिसमें आवेदक (ओं) को दो अलग-अलग विषयों/सी पी आई ओज से सूचना मांगनी हो। ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्त करने वाले सी पी आई ओ को आर टी आई अधिनियम के भाग 6(3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ को आवेदन की प्रति को तुरन्त ही भेजना होगा। जिससे कि उससे संबंधित मुद्दे पर तुरन्त सूचना प्राप्त हो सके। सीपीआईओ जिसने मूल रूप में आवेदन प्राप्त किया है, उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि आर टी आई अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदक (ओं) को समेकित प्रत्युत्तर/उत्तर भेज दिया गया है।

ज. आरटीआई आवेदन/अपील इत्यादि का रिकार्ड

उपरोक्त सभी नियुक्त प्राधिकारियों को सही तौर पर रिकार्ड रखना होगा और साथ ही अलग से एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें आर टी आई अनुरोध/अपील की प्राप्ति की तिथि, जिस दिन आवेदक (ओं) को अंतिम रूप से उत्तर भेज दिया गया हो, भुगतान की विधि को दर्शाते हुए वसूली गई शुल्क राशि या अतिरिक्त शुल्क यदि कोई है तो, यदि अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया हो तब आर टी आई अधिनियम के किस भाग के अंतर्गत अनुरोध/अपील को अस्वीकार किया गया है, उसे स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाए। एसीपीआईओ द्वारा संस्कृति मंत्रालय/केन्द्रीय सूचना आयोग को समेकित वार्षिक रिटर्न को भेजने/अपलोड करने के लिए वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही तुरन्त निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा।